

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

भू-वापसी वाद संख्या- 53/2015-16
(सी0एन0टी0 एक्ट, 1908 की धारा 46(3-4) के तहत)

—:आदेश:—

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख के साथ

फॉर्म 14-फारम सं0 563

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख के साथ

05/2/19

इस वाद की कार्यवाही जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक 245/भू0अ0 दिनांक 27.06.2015 से अनुसूचित जनजाति की भूमि पर गैर अनुसूचित जनजाति के दखल के संबंध में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(3-4) के अन्तर्गत वाद की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पक्षकार को नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही इस संबंध में अंचल अधिकारी, चास से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

— : भूमि का विवरण :-

राजस्व ग्राम/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
नरकेरा/26	11	163/1	0.015

प्रथम पक्ष द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए उल्लेख किया गया है कि मौजा नरकेरा, थाना नं0 26, खाता नं0 11, प्लॉट नं0 163/1, रकबा 0.015ए0 भूमि का खतियान रैयत सुराई मांझी के पुत्रों के नाम से दर्ज है। रैयतों के सहमति से भूमि पर लगभग 30 वर्षों से कच्चा मकान बनाकर चाय-नास्ता का दुकान चलाकर बाल-बच्चों का भरण-पोषण कर रहे हैं। इस भू-खण्ड का मुआवजा व क्षतिपूर्ति रैयतों जगत मांझी एवं अन्य को भुगतान किया जाय एवं मकान का क्षतिपूर्ति हमें दिया जाय। इनके द्वारा खतियान रैयत एवं स्वयं के साथ हुए अनापत्ति/समझौता पत्र भी दाखिल किया गया है।

अंचल अधिकारी, चास द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1908 दिनांक 15.09.2018 से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा उल्लेखित किया गया है कि मौजा नरकेरा, खाता नं0 11 आदिवासी खाते की भूमि है। जिसका सर्वे खतियान सुराई मांझी वल्द वुकाय मांझी के नाम से दर्ज है। उक्त प्लॉट नं0 163/1, रकबा 0.015ए0 भूमि पर श्री अनिल मोदक वर्तमान में दखलदार नहीं है। खतियान रैयत के भूमि के सामने सड़क की भूमि पर अनिल मोदक द्वारा चाय/नास्ते का दुकान खोला गया था। NH23 के चौड़ीकरण/फोर-लेन निर्माण के क्रम में प्रश्नगत प्लॉट नं0 163/1 पर अनिल मोदक को पंचाटी घोषित कर दिया गया। जबकि उक्त प्लॉट पर अनिल मोदक का दावा/दखल राजस्व कागजात नहीं है एवं जमाबंदी भी कायम नहीं है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्लॉट नं0 163/1 पर खतियान रैयत सुराई मांझी के वंशज का दखल कब्जा है। जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0 179/II में मझिया मांझी वगैरह के नाम से चल रही है। प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी अनिल मोदक के नाम से नहीं चल रही है।

इस संबंध में प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। उनके द्वारा बताया गया है कि वर्तमान वाद मौजा नरकेरा, खाता नं० 11, प्लॉट नं० 163/1, रकबा 0.015ए० एवं अन्य सर्वे खतियान में सुराई मांझी के नाम से दर्ज था। उनके वंशज के द्वारा किसी भी तरह का वैध हस्तांतरण आवेदक के पक्ष में नहीं किया गया था। उक्त भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। सी०एन०टी० एक्ट 1908 की धारा 46(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी तरह का बिक्री, उपहार एवं अन्य अधिकारों का हस्तांतरण आदिवासी से आदिवासी के बीच में उपायुक्त के आदेशानुसार ही किया जा सकता है। इन्होंने यह भी कहा है कि उपायुक्त स्वयं संज्ञान लेकर भू-वापसी का वाद संधारित कर सकते हैं एवं अतिक्रमित भूमि का वापसी आदिवासी के पक्ष में कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आवेदक गैर आदिवासी है तथा जाली कागजात के आधार पर जबरन कब्जा कर रखा है। अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन में भी उक्त भूमि को आदिवासी खाते की भूमि का उल्लेख किया गया है। इन्होंने यह भी कहा है कि खतियानी रैयत के वंशज सुराई मांझी के दखल कब्जे में है। अंत में उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में भू-वापसी करने का अनुरोध किया है।

प्रथम पक्ष एवं प्राधिकृत अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं अंचल अधिकारी, चास के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है। जिसे प्रथम पक्ष के द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमित किया गया है। प्रथम पक्ष के पास भूमि का कोई भी वैध कागजात नहीं है, एवं अनुसूचित जनजाति से संबंध नहीं रखते हैं। अंचल अधिकारी, चास के जांच प्रतिवेदन में भी उक्त भूमि पर सुराई मांझी के वंशज का दखल कब्जा होने का बात कही गई हैं। प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष अनिल मोदक के नाम से जमाबंदी नहीं चल रही है, उनका दावा अवैध है। उपरोक्त प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। जिसपर खतियानी रैयत सुराई मांझी के वंशजों का दखल कब्जा है। जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ संख्या 179/II में मंझीया मांझी वगैरह के नाम से दर्ज है।

अतः अंचल अधिकारी, चास उपरोक्त भूमि पर खतियानी रैयत के वंशजों के नाम से कायम जमाबंदी की समीक्षा करते हुए वैध आश्रितों के दखल कब्जा को यथावत् बनायें रखें।
लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।